सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/ 1489

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 01 नवम्बर, 2021

विषय: अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को आयोजित 145वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 145th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 30 September, 2021 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 145वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

<u>संलग्नक</u> : यथोक्त

भवदीया,

01/11/2021

(राजिन्दर पाल)

उप निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/ अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.09.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित 145वीं बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 145वीं बैठक दिनांक 30.09.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की गई।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 145वीं बैठक है। इस बैठक में मार्च, 2021 और जून, 2021 के तिमाही आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे हिंदी की प्रगति बढ़ाने हेतु अपना-अपना योगदान दें जिससे कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संयुक्त सचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि मार्च, 2021 माह की तिमाही की तुलना में जून, 2021 माह में मूल पत्राचार तथा फाइलों पर टिप्पणी लेखन के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। अत: आयोग में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग में राज़भाषा नीति एवं नियमों का अनुपालन उचित रूप से किया जा रहा है तथा इस क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति में भी निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने सूचित किया कि क्षेत्रीय कार्यालयों के राजभाषायी निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि वे ज्यादा से ज्यादा अपना सरकारी कार्य हिंदी में करते हैं। अभी हाल ही में 27 सितम्बर, 2021 को संसदीय राजभाषा समिति ने हैदराबाद स्थित निचली कृष्णा मंडल कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया था जिसमें माननीय समिति ने निचली कृष्णा मंडल द्वारा तैयार की गई निरीक्षण प्रश्नावली में दिए गए राजभाषायी आंकड़ों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को

https://cwc.eoffice.gov.in/eFile/?x=9nh4-wg7aSWz4CO5EqypUhzH3GsdFTTW

संतोषजनक तथा सराहनीय बताया और केंद्रीय जल आयोग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। संयुक्त सचिव महोदय ने आगे बताया कि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में 14 से 28 सितम्बर, 2021 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) द्वारा चलाई जा रही राजभाषा शील्ड योजना के तहत इस वर्ष मुख्यालय के स्थापना-2 अनुभाग तथा नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय राजभाषा हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने के फलस्वरूप राजभाषा शील्ड पुरस्कार के विजेता रहे। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय के कर-कमलों से उन्हें शील्ड प्रदान किए गए। इसके बाद संयुक्त सचिव महोदय ने उप निदेशक (रा.भा.) को मदवार कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपनिदेशक (रा.भा.) ने मदवार कार्रवाई शुरू की।

सदस्य सचिव ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि दिनांक 29.06.2021 को आयोजित की गई पिछली बैठक का कार्यवृत्त 28.07.2021 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित कर दिए गए थे। इस संबंध में इस पर कहीं से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अत: कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। समिति के सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई।

इसके बाद सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत करवाया और मदवार चर्चा शुरू की।

समिति के उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध 'क' पर संलग्न है।

उक्त बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात लिए गए निर्णय निम्नानुसार है:-

1. सदस्य सचिव ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय

कार्यालयों के लिए 10 कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन करने संबंधी मामला अभी भी जल संसाधन विभाग, / वित्त मंत्रालय में लंबित है। सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति से वित्त मंत्रालय को अनुशंसा पत्र भेजने हेतु दिनांक 13.08.2021 को एक पत्र भेजा गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले का निरंतर फॉलोअप किया जाए।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग)

2. उप सचिव एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को वॉइस द्रल उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में निदेशक एसएमडी ने बताया कि उपकरण की खरीद हेतु निविदा आमंत्रित की गई है और यह कार्य जल्दी ही पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाए ताकि संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को पूरा किया जा सके।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

3. क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने पिछली तिमाही में कार्यशाला और बैठक का आयोजन नहीं किया था। हालांकि उन्हें दिनांक 29.08.2021 के पत्र द्वारा बताया गया था कि यदि कोविड-19 महामारी के कारण राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिंदी कार्यशाला का फिजिकल आयोजन करना संभव न हो तो इन्हें ऑनलाइन भी आयोजित किया जा सकता है। तथापि अभी भी कुछ कार्यालयों ने हिंदी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में कोविड प्रोटोकोल को पूरी तरह से फॉलो करते हुए ऑनलाइन माध्यम से भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा हिंदी कार्यशाला का आयोजन करने हेतु पुनः पत्र लिखा जाए।

(कार्रवाईः क्षेत्रीय कार्यालय / हिंदी अनुभाग)

4. केंद्रीय जल आयोग के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों को वेबसाइट

https://cwc.eoffice.gov.in/eFile/?x=9nu4-wg7aSWz4CO5EqypUhzH3GsdFTTW

पर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के दौरान निदेशक (प्रशिक्षण) ने बताया कि हिंदी पुस्तकों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसे क्लिक कर एक्सेस करते हुए पुस्तकों के विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं तथा पुस्तकालय में फोन कर वांछित पुस्तक प्राप्त की जा सकती है। अन्य पुस्तकों के डिजिटलाइजेशन के संबंध में निदेशक (प्रशिक्षण) ने बताया कि इस पर अलग-अलग एजेंसियों से बात कर कार्य किया जा रहा है।

(कार्रवाईः पुस्तकालय एवं सूचना ब्यूरो)

<u>अनुबंध - 'क'</u>

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित 145वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	एस.के.हालदार, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	कुश्विन्दर वोहरा, सदस्य, जल आयोजना एवं परियाजना स्कंध, के.ज.आ.	सदस्य
3.	समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), के.ज.आ.	सदस्य
4.	मोती लाल, संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
5.	प्रवीण कुमार, सचिव, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
6.	दीपक कुमार, निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
7.	संजय कुमार गंगवार, निदेशक, प्रशिक्षण/पुस्त. निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
8.	निरंजन बर, निदेशक, अभिकल्प एवं अनुसंधान (सम.) निदे., के.ज.आ.	सदस्य
9.	एस.के.राजन, निदेशक, तकनीकी समन्वय निदे., के.ज.आ.	सदस्य
10.	शिव दत्त शर्मा, निदेशक, एसएमडी निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
11.	भूपिन्द्र सिंह, निदेशक, जल आयोजना, परियोजना (सम.) निदे., के.ज.आ.	सदस्य
12.	इन्द्रजीत हाडा, निदेशक, स्थापना-2 एवं प्रशासन, के.ज.आ.	सदस्य
13.	वि.कुमारी, उप निदेशक, नदी प्रबंध सम.निदेशालय, के.ज.आयोग	सदस्य
14.	सचिव देव वर्मा, अवर सचिव, स्थापना-3 अनुभाग, के.ज.आयोग	सदस्य
15.	रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
2.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
3.	इंद्रा एस, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
4.	रोली श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
5.	पुनीत पाण्डेय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग